NEERAJ®

New Syllabus

Reference Book Based on the Syllabus of

N.I.O.S.–D.El.Ed.

Bridge Course

PDPET

N-521

ikjfHkd f'k{kk % lanHkZ] ljkdkj vkSj pqukSfr;k

(Elementary Education: Context, Concerns and Challenges)

By : Vaishali Gupta

Published by:

NP

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6

Ph: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Price: ₹ 120.00

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

Admn. Office : **Delhi-110007**
Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006**
E-mail: **info@neerajbooks.com** *Website*: **www.neerajbooks.com**

	Typesetting by: ***Competent Computers***	*Printed at*: ***Novelty Printer***

Notes:

1. *For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.*
3. *The information and data etc., given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc., see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.*
4. *Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.*
5. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
6. *If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.*
7. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
8. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
9. *Subject to Delhi Jurisdiction only.*

© Reserved with the Publishers only.

Spl. Note: *This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*

How to get Books by Post (V.P.P.)?

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website ***www.neerajbooks.com****. You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).*
To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ BOOKS You may Visit/Surf our website ***www.neerajbooks.com.***
No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.
We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110 006

Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: **info@neerajbooks.com** *Website:* **www.neerajbooks.com**

विषय–सूची

प्रारंभिक शिक्षा : संदर्भ, सरोकार और चुनौतियां

(Elementary Education : Context, Concerns and Challenges)

Sample QUESTION PAPER - 1 (Solved)	1-2
Sample QUESTION PAPER - 2 (Solved)	1-2

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ

संदर्भ और प्रारंभिक शिक्षा का महत्त्व
(CONTEXT AND CONCERNS OF ELEMENTARY EDUCATION)

1.	भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य **(Perspectives of Elementary Education in India)**	1
2.	प्रारंभिक शिक्षा में समकालीन सरोकार **(Contemporary Concerns in Elementary Education)**	19
3.	भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति **(Growth of Elementary Education in India)**	34

प्रारंभिक शिक्षा में चुनौतियाँ
(CHALLENGES IN ELEMENTARY EDUCATION)

4.	शिक्षक एक पेशेवर के रूप में **(Teacher as a Professional)**	52

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
5.	प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता **(Quality Concerns in Elementary Education)**	70
6.	शिक्षार्थियों का समग्र विकास **(All Round Development of Learners)**	88

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

Sample

QUESTION PAPER - 1

(Solved)

Based on: **National Institute of Open Schooling-D.El.Ed. (BRIDGE COURSE)**

प्रारंभिक शिक्षा : संदर्भ, सरोकार और चुनौतियां

(Elementary Education: Context, Concerns and Challenges)

समय : 3 घंटे] *[पूर्णांक : 70*

सामान्य निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रश्न 1. प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देने का क्या कारण है?

(क) यह बच्चे की बुनियादी शिक्षा है
(ख) इसके बिना आगे की शिक्षा देना कठिन है
(ग) प्राथमिक शिक्षा से बच्चे की नींव बनती है
(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 2. किस कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनके घर की एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है?

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
(ख) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वीकरण
(ग) निर-औपचारिक शिक्षा
(घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

उत्तर–(ख) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वीकरण।

प्रश्न 3. शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया जाता है?

(क) विद्यालय संसाधन (ख) कक्षा वातावरण
(ग) शिक्षकों की उपस्थिति (घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(घ) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 4. शिक्षा के प्रकृतिवादी स्वरूप के जनक कौन थे?

(क) गांधी जी (ख) रूसो
(ग) रविन्द्रनाथ टैगोर (घ) मदन मोहन मालवीय

उत्तर–(ख) रूसो।

प्रश्न 5. पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ जरूरी है–

(क) खेल-कूद (ख) सृजनात्मकता की शिक्षा
(ग) रुचिकर कार्य (घ) व्यावसायिक शिक्षा

उत्तर–(ख) और (ग)।

प्रश्न 6. विद्यालय में सक्रिय अध्यापकों के हितों का समर्थन करने वाले संघ को कहते हैं–

(क) पंचायत समिति (ख) अध्यापक संघ
(ग) शिक्षा न्यास (घ) पंचायत समिति

उत्तर–(ख) अध्यापक संघ।

प्रश्न 7. भारतीय संविधान के 86वें संशोधन (2002) की मुख्य बात क्या थी?

(क) 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा
(ख) बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं
(ग) अधिक विद्यालयों का निर्माण
(घ) स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था

उत्तर–(क) 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा।

प्रश्न 8. विद्यालय व्यवस्था को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए?

(क) अच्छे शिक्षक (ख) अनुशासित वातावरण
(ग) स्वच्छता (घ) संसाधन

उत्तर–(ख) अनुशासित वातावरण।

प्रश्न 9. बहुक्षेत्रीय कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक के समक्ष क्या समस्याएं आती हैं?

(क) विभिन्न श्रेणी स्तर (ख) भिन्न-भिन्न आयु वर्ग
(ग) भिन्न-भिन्न योग्यता स्तर (घ) ये सभी

उत्तर–(घ) ये सभी।

प्रश्न 10. गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या थे?

(क) बालकों व बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए।
(ख) बच्चों का सामाजिक पर्यावरण के साथ तालमेल स्थापित हो।
(ग) शारीरिक श्रम को महत्त्व दिया जाए।
(घ) बच्चों को शिल्प कार्य की शिक्षा दी जाए।

उत्तर–ये सभी।

प्रश्न 11. देश में शिक्षक-शिक्षा का विकास, नियंत्रण व समन्वय करने का कार्य किस संस्था का है?

(क) एन.सी.टी.ई. (ख) सी.बी.एस.ई.
(ग) एस.बी.टी. (घ) सी.ए.बी.

उत्तर–(क) एन.सी.टी.ई.।

प्रश्न 12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में किस बात पर जोर दिया गया?

www.neerajbooks.com

(क) 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य
(ख) स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो
(ग) सभी को शिक्षा के समान व्यवहार प्राप्त हो
(घ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य
उत्तर–(क) तथा (ग)।

प्रश्न 13. नैतिक शिक्षा सर्वप्रथम कहां से मिलती है?
(क) समाज से (ख) विद्यालय से
(ग) माता-पिता से (घ) पाठ्यपुस्तकों से
उत्तर–(ग) माता-पिता से।

प्रश्न 14. स्कूलों में सतत् व व्यापक मूल्यांकन जरूरी है, ताकि–
(क) माता-पिता को उनकी रिपोर्ट दी जा सके
(ख) बच्चों के विकास का पता लगाया जा सके
(ग) स्कूल की उन्नति के बारे में पता चले
(घ) अध्यापक के शिक्षण के बारे में पता चले
उत्तर–(ख) बच्चों के विकास का पता लगाया जा सके।

प्रश्न 15. शिक्षा की किस प्रणाली में अध्यापकों के बिना ही शिक्षा दी जाती है?
(क) मुक्त विद्यालय (ख) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
(ग) कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा (घ) इंटरनेट द्वारा शिक्षा
उत्तर–(क) तथा (ख)।

प्रश्न 16. प्राथमिक शिक्षा की खराब स्थिति के क्या कारण हैं?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-39, प्रश्न 6

प्रश्न 17. 'शिक्षार्थी केन्द्रित उपागम' की पाँच मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-92, प्रश्न 2

प्रश्न 18. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-6, प्रश्न 2

प्रश्न 19. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या तात्पर्य है?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-74, प्रश्न 1

प्रश्न 20. एन.सी.एफ. 2005 के क्या उद्देश्य तय किये गए थे?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-23, प्रश्न 2

प्रश्न 21. लैंगिक मुद्दों पर सरकार की भूमिका पर विचार कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-93, प्रश्न 7

प्रश्न 22. हम अध्यापक के वैयक्तिक गुणों को कैसे अर्जित कर सकते हैं?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-55, प्रश्न 1

प्रश्न 23. सरकार द्वारा शिक्षा कोष एवं अनुदान प्रदान करने के मुख्य कारण क्या हैं?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-7, प्रश्न 7

प्रश्न 24. विद्यालय स्तर पर संतुलित एवं धारणीय विकास को महत्त्व क्यों दिया जाना चाहिए?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-75, प्रश्न 7

प्रश्न 25. भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण के लिए क्या प्रयास करती रही है?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-39, प्रश्न 4

प्रश्न 26. शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों से किस प्रकार संबंधित है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-76, प्रश्न 4

प्रश्न 27. प्रतिबद्धता के उन तीन स्तरों की पहचान कीजिए, जिन्हें नीति-निर्देशक सिद्धांतों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-27, प्रश्न 10

प्रश्न 28. बालकों के नैतिक विकास के शैक्षणिक निहितार्थों के बारे में समझाइये।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-95, प्रश्न 5

प्रश्न 29. सूक्ष्य योजना के चरणों की सूची बनाइए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-41, प्रश्न 4

प्रश्न 30. शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में की गई किन्हीं तीन मुख्य अनुशंसाओं की सूची बनाइए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-8, प्रश्न 2

प्रश्न 31. हम किस प्रकार भावी नागरिकों को वैश्विक समाज के लिए तैयार कर सकते हैं?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-78, प्रश्न 8

प्रश्न 32. दस वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या सम्बन्धी पुनर्निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-25, प्रश्न 4

प्रश्न 33. 'अध्यापक एक प्रबंधक है'–क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अपने उत्तर को सप्रमाण स्पष्ट करें।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-57, प्रश्न 3

प्रश्न 34. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या स्वरूप है?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-10, प्रश्न 9

प्रश्न 35. प्रारंभिक शिक्षा में किए जा सकने योग्य नवाचारों के बारे में बताइए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-49, प्रश्न 10

प्रश्न 36. उन कारणों का उल्लेख कीजिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इन कारणों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-84, प्रश्न 9

प्रश्न 37. अरविंदो घोष के शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर एक लेख लिखिए
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-30, प्रश्न 5

प्रश्न 38. पाठ्यचर्या में मूल्यों को आत्मसात कैसे किया जा सकता है?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-96, प्रश्न 2

प्रश्न 39. अध्यापक को विभिन्न भूमिकाएं क्यों निभानी होती हैं?
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-60, प्रश्न 2

प्रश्न 40. प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-13, प्रश्न 4

प्रश्न 41. सेवाकालीन प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्यों है? कारण बताइए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-63, प्रश्न 5

प्रश्न 42. शैक्षिक अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे रोकने के उपायों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-42, प्रश्न 1

■■

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

प्रारंभिक शिक्षा : संदर्भ, सरोकार और चुनौतियां
(Elementary Education : Context, Concerns and Challenges)

संदर्भ और प्रारंभिक शिक्षा का महत्त्व
(Context and Concerns of Elementary Education)

भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य
(Perspectives of Elementary Education in India)

1

अध्याय का विहंगावलोकन

प्राचीन भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली

प्राचीनकाल में शिक्षा को स्व-उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था। प्राथमिक अवस्था में इसे एक अलग औपचारिक शिक्षा के रूप में न मानकर केवल जीवन के तौर-तरीके सीखने व दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा माना जाता था। शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था तथा बालक व बालिका दोनों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। प्राथमिक स्तर की शिक्षा दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित कार्यकलाप तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के लिए आयोजित की जाती थी, जिसका उद्देश्य तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति हेतु पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाओं, वेदों, तर्कशास्त्र, राज्यतंत्र, युद्धकला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन अध्ययन कराया जाता था, जिसका अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति होता था। शिक्षा का मुख्य ध्येय एक उन्नत जीवन के लिए अभ्यास के द्वारा प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रशिक्षित करना था। जीवन की चारों अवस्थाओं–ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम में एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में एक पिता के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना सिखाया जाता था। एक विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती थी कि वह जाति की संस्कृति का संरक्षक व प्रकाश स्तंभ है। शिक्षा के पश्चात दीक्षांत भाषण के समय उसे समझाया जाता था और आदेश दिया जाता था कि समाज के योग्य एवं स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में उसके कुछ सामाजिक दायित्व तथा कर्त्तव्य हैं, जिन्हें उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। इस प्रकार आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक भावना, कुशलता को प्रोत्साहन, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य थे।

स्वतंत्रता के पश्चात और औपनिवेशिक युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास

औपनिवेशिक युग के प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं ली, किन्तु फिर भी अपने कर्मचारियों, उनके बच्चों तथा आस-पास के निवासियों के लिए सीमित संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, शिक्षा की मांग में वृद्धि के साथ कुछ माध्यमिक स्कूल भी खोले गए। सन् 1800 ईसवी में अपने कर्मचारियों के लिए असैनिक उच्च शिक्षा की व्यवस्था हेतु कलकत्ता में 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना की गई। इसमें हिन्दुओं और मुस्लिमों को भी प्रवेश का अधिकार था। यहां सभी आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हिन्दू एवं इस्लाम धर्म के नियम व कानूनों की भी शिक्षा दी जाती थी और उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होता था। कंपनी ने सभी महाविद्यालयों की स्थापना अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए की। जनशिक्षा की तरफ कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन्1793 एवं 1813 के आज्ञापत्रों के पश्चात दबाव एवं मजबूरी में कंपनी को संपूर्ण देश में शिक्षा संबंधी कार्य शुरू करने पड़े। देश में समय-समय पर शिक्षा में सुधार परिवर्तन एवं विकास करने के लिए अनेक शिक्षा आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने शिक्षा के विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये। 'भारतीय शिक्षा आयोग' का गठन 1882 ई. में किया गया था, जोकि सबसे पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा तीनों के विकास एवं बेहतर प्रबंधन के लिए कई क्रांतिकारी सुझाव दिये।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयासों से अनेक विद्यालय एवं कॉलेज खोले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से अनेक विद्यालय खोले गए। स्वतंत्रता के पश्चात देश की विकास योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। शिक्षा की नीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1949 में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया। आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आधुनिक भारत के अनुरूप निर्धारित किया। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु भी अनेक सुझाव दिये। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया, इसीलिए 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए उपयोगी सुझाव दिये, जिनका अनुसरण करते हुए बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना, कृषि शिक्षा का विस्तार, इन्जीनियरिंग कॉलेज तथा प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण तथा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र आदि पर कार्य किये गए। इसके पश्चात जुलाई 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया। इसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध कार्यों तक अपने सुझाव दिये। शिक्षा की नई संरचना व्यवस्थित की। आयु वर्ग के अनुसार कक्षाओं का निर्धारण किया। 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना की प्रबल संस्तुति की। केन्द्र सरकार ने संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया तथा देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए सन् 1986 में नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' की घोषणा की। इस शिक्षा नीति के तहत देश में सन् 2000 तक शत-प्रतिशत साक्षरता पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

आधारभूत शिक्षा—नई तालीम

गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया, जिसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक एजुकेशन के नामों से जाना जाता है। नई तालीम सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा है। इस शिक्षा का ध्येय सभी का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास विशेषकर समाज के पिछड़े वर्गों का विकास करके शोषणमुक्त और समानता आधारित एक नये समाज का निर्माण करना है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता तथा दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास होना चाहिए। समग्रता का भाव रखने वाली शिक्षा से ही जिम्मेदार नागरिक का विकास संभव होगा, जो समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकेगा तथा समाज की भलाई के लिए काम कर सकेगा। आज आवश्यकता है गांधी जी द्वारा बोये गए नई तालीम के बीज को देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने की।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण (नई शिक्षा नीति 1968, 1986 पर फोकस और महत्त्वपूर्ण पहल; जैसे—DPEP, SSA, EFA, KGBV, छात्रवृत्ति योजना मध्याह्न भोजन आदि)

भारत में प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण से तात्पर्य 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसमें 6-11 वर्ष की उम्र तक 5 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा तथा 11-14 वर्ष की उम्र तक 3 वर्षों की उच्च प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समझते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण की घोषणा की गई है। इस संवैधानिक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देश ने बहुत लंबी दूरी तय की है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण हेतु 6-14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय तथा विद्यालयी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ सार्वभौम नामांकन तथा प्रतिधारण की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।

सन् 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनेक रणनीतियाँ तय की हैं, परंतु स्वतंत्रता के लगभग 55 वर्षों बाद भी प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके लिए प्रयासों में ओर तेजी लाने की दिशा में कदम उठाते हुए वर्ष 2000 में 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना शुरू की गई। सबके लिए शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालयों की परिकल्पना की गई, जिसके द्वारा न केवल बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा होने तक विद्यालय में बनाए रखेंगे बल्कि उन्हें अधिगम न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने योग्य बनाएँगे। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण के प्रयासों की दिशा में प्रौढ़ शिक्षा में नया कदम उठाया गया तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षा गुणात्मक व परिमाणात्मक सुधारों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार 1987-88 में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' की योजना आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य देश के प्राथमिक विद्यालयों में 30 सितंबर, 1986 तक उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का विकास करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्ययोजना ने विशेष रूप से शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना निर्माण की तकनीक के रूप में विद्यालय मानचित्रण पर बल दिया है। शिक्षा में उपस्थिति योजना की प्रक्रिया को 'विद्यालय मानचित्रीकरण' के नाम से जाना जाता है। विद्यालय मानचित्रीकरण के साथ 'सूक्ष्म आयोजना' की संकल्पना की गई। इसे निम्नतम स्थानिक इकाई के स्तर पर शिक्षा-योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

भारतीय समाज लगभग पाँच हजार वर्ष पुराना समाज है, जिसकी अपनी सशक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक परंपराएँ हैं, जो जाति, वर्ग तथा लिंग आधारित भेदभाव के इतिहास तथा असीम विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए है। स्वतंत्रता के पश्चात हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उत्तराधिकार में मिली, जो न केवल परिमाणात्मक रूप से कम थी, अपितु वह अनोखे क्षेत्रीय तथा रचनात्मक असंतुलनों से भी ग्रस्त थी। संविधान में जाति, वर्ग तथा लिंग सम्बन्धी सभी भेदभावों का निषेध करते हुए सकारात्मक विभेद द्वारा ऐतिहासिक रूप से सुविधावंचित वर्गों; जैसे–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इन असमानताओं से जकड़ी हुई थी, इसलिए सबको शिक्षित करने तथा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था संविधान में की गई। अनुच्छेद 45 में 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एक ऐतिहासिक कदम है। इस नीति में लड़कियों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया।

शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान और शिक्षा–संविधान में शिक्षा को राज्य सरकार की जिम्मेदारी माना गया है। संविधान ने केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों के संचालन और स्थापना का दायित्व सौंपा है। शिक्षा संस्थानों के सदस्यों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों को सौंपी गई। सन् 1976 के 42 वें सविधान संशोधन द्वारा अब शिक्षा केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व है।

संविधान की निम्नलिखित धाराओं में किए गए प्रावधान शिक्षा की कार्यनीति पर प्रभाव डालते हैं–

1. **धारा 45**–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा 10 वर्षों में प्रदान करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी।
2. **धारा 15**–यह धारा जन्म, स्थान, लिंग, धर्म आदि के आधार पर हुए भेदभाव पर रोक लगाती है तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था का राज्य को अधिकार देती है।
3. **धारा 28**–सरकारी अनुदान से संचालित विद्यालय में शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष रखती है।
4. **धारा 29**–अलग भाषा, संस्कृति व लिपि की सुरक्षा का आश्वासन्देती है।
5. **धारा 14**–कानून के समक्ष समानता का अधिकार देती है।
6. **धारा 16**–सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देती है।
7. **धारा 17**–अस्पृश्यता की समाप्ति तथा किसी भी रूप में उसे बनाए रखने का निषेध करती है।
8. **धारा 14**–बाल श्रम का निषेध करती है।

इन धाराओं के अतिरिक्त राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी शिक्षा के दायित्व में अपनी भागीदारी निभाते हैं; जैसे–

1. राज्य द्वारा कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक व आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करना।
2. सभी प्रकार के अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करना।

संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्त्तव्यों में धारा 51 A(K) जोड़ी गई, जिसका लक्ष्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा राज्य एवं अभिभावक दोनों का उत्तरदायित्व है।

अब तक शिक्षा से वंचित अथवा शिक्षा छोड़ चुके बच्चों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में आठ वर्षीय अनिवार्य विद्यालय शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया। शोषण से संरक्षण हेतु बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 तथा Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 भी बनाए गए।

भारत में बच्चे के अधिकार के रूप में शिक्षा–भारतीय संविधान में शिक्षा को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, परंतु अभी तक अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है।

राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण (UEE/UPE) को स्वीकार किया गया है। 'सबके लिए शिक्षा' को लोकतंत्र की सफलता के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि–

1. 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो।

2. लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाए।

3. अधिगम-अध्यापन प्रक्रिया को सुधारकर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करना होगा।

4. शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारना होगा।

देश में व्याप्त निरक्षरों की बड़ी संख्या, विद्यालयों में बच्चों की कम अनुपस्थिति तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की भारी संख्या प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय आवश्यकता को दर्शाती है।

विद्यालयों में कम नामांकन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. विद्यालय की संरचना का छोटा होना,

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

2. कम विद्यालयी सुविधाएं,
3. शिक्षा में अरुचि,
4. आर्थिक कारण,
5. प्रवेश प्रणाली का सही न होना आदि।

सर्व शिक्षा (EFA)–निरक्षरता तथा शैक्षिक वंचन की व्यापक दर U.E.E एवं U.P.E जैसे कार्यक्रमों के संचालन के बाद भी शिक्षा अपेक्षित स्तर की प्राप्ति में बाधक है। निरक्षरता के उन्मूलन तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण के लिए UNESCO एवं UNICEF द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े देशों में 'सर्व शिक्षा अभियान' चलाया गया है, ताकि लोकतंत्रीकरण को सफल बनाया जा सके।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा का विकास APEID की दसवीं बैठक में प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण, नवीकरण एवं निरक्षरता उन्मूलन के लिए शुरू किया गया प्रयास है। इस बैठक (20-27 मई 1986, बैंकाक) में निर्धारित कार्यक्रम को APPEAL (Asia Pacific Programme of Education for All) नाम दिया गया।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा का सर्वीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों में शामिल हैं–

(i) सार्वभौम नामांकन,
(ii) सार्वभौम उपस्थिति,
(iii) सार्वभौम प्रतिधारण (Retention)।

'सर्व शिक्षा' के अंतर्गत विद्यालयों से अपेक्षा की गई कि

(i) वे उत्तम परिणाम दें।
(ii) पाठ्यक्रम समाप्ति तक विद्यार्थियों को विद्यालय में बनाए रख सकें।
(iii) अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने योग्य बना सकें।

विद्यालयों की गुणवत्ता, मात्रा एवं विद्यालयी कार्यक्रमों में सुधार पर भी ध्यान दिया गया।

सर्व शिक्षा का एक भाग प्रौढ़ शिक्षा भी है। प्रारंभ में इसे 'सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम' कहा गया। कालांतर में यह भिन्न-भिन्न नामों से चलाया गया; जैसे–

(i) किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम (FFLP)
(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM)
(iii) जन शिक्षा निलयम (JSN) आदि।

प्रौढ़ शिक्षा की सफलता के लिए 'राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान' (National Institute of Adult Education) स्थापित किया गया तथा 'Each One, Teach One' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्तमान में 'संपूर्ण साक्षरता अभियान' (Total Literacy Programme) चलाया जा रहा है तथा यह सभी स्तरों पर उत्साहजनक रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता दृढ़ राजनीतिक इच्छा एवं राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भी अपेक्षा करती है। औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा को भी लागू किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा अनेक कारणों से शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक अच्छा कदम है।

सर्व शिक्षा अभियान दस्तावेज (1993) के अनुसार, "संपूर्ण साक्षरता अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं जनसहायता से समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन, प्रगति तथा लोकतंत्रीकरण लाया जा सकता है।"

अधूरे लक्ष्यों को प्राप्त करना–आज हम 'सबके लिए शिक्षा' के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कई प्रावधान किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा संबंधी क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। धारा 45 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण संबंधी कई नवीन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिसमें U.E.E द्वारा विशेष भूमिका निभाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान निश्चित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। जाति, रंग, लिंग तथा वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए। शिक्षा की पहुँच प्रत्येक बच्चे तक होनी चाहिए। कमजोर वर्गों को विशेष आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करना है, परन्तु खेद इस बात का है कि U.E.E. संबंधी सम्पूर्ण लक्ष्य वर्तमान में भी प्रयत्नशील हैं। आज भी सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। यद्यपि सरकार द्वारा 'शिक्षा के अधिकार' के अंतर्गत कई सुविधाएं एवं कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

U.E.E. कार्यक्रम को पूर्ण सफलता प्राप्त न होने का मुख्य कारण यह है कि कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग उन कार्यक्रमों से अनभिज्ञ है। सरकारी योजनाओं का ज्ञान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को नहीं है, जिसके कारण सरकार की सबके लिए शिक्षा संबंधी नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है।

भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में विकास के भिन्न-भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। सरकार द्वारा कई कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य

www.neerajbooks.com